झारखण्ड विधान-सभा सदस्य

(दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता)

नियम, 2006

झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय,
राँची

जुलाई-2007, / आषाढ़ 1929 (शक)

प्रस्तावना

संविधान (बावनवां संशोधन) अधिनियम, 1985, जिसे संसद ने हमारी राजनीतिक व्यवस्था में दल परिवर्त्तन की बुराई को समाप्त करने के लिए पारित किया था, 1 मार्च, 1985 से लागू हुआ । स्थान रिक्त करने और संसद अथवा किसी राज्य के विधान मंडल का सदस्य होने के लिए निरर्हता के संबंध में इस अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 101, 102, 190 एवं 191 में संशोधन किया गया । दल परिवर्त्तन के आधार पर निरर्हता के लिए कतिपय उपबंध करने हेतु संविधान में एक नई अनुसूची (दसवीं अनुसूची) भी जोड़ी गई है ।

संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा-8 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड विधान-सभा के अध्यक्ष द्वारा झारखण्ड विधान-सभा सदस्य (दल परिवर्त्तन के आधार पर निरर्हता) नियम, 2006 बनाए गए । ये नियम 2 मार्च, 2007 से लागू हुए ।

इस पुस्तिका में संविधान (बावनवां संशोधन) अधिनियम, 1985, संविधान (इक्यावनवेवां संशोधन) अधिनियम, 2003 द्वारा यथा संशोधित संविधान की दसवीं अनुसूची तथा झारखण्ड विधान-सभा सदस्य (दल परिवर्त्तन के आधार पर निरर्हता) नियम, 2006 द्वारा यथा संशोधित संविधान के अनुच्छेद 190 तथा 191 के सुसंगत उपबंध अंतर्विष्ट है ।

राँची :
दिनांक 12-07-2007

राजेन्द्र प्रसाद सिंह,
प्रभारी सचिव ।

दल परिवर्त्तन के आधार पर निरर्हता
संवैधानिक उपबंध

अनुच्छेद 190 स्थानों का रिक्त होना -

(1) x x x x x x x x x x x x

(2) x x x x x x x x x x x x

(3) यदि राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन का सदस्य-

(क) [अनुच्छेद 191 के खण्ड (1) या खण्ड (2)] में वर्णित किसी निरर्हता से ग्रस्त हो जाता है, या

(ख) x x x x x x x x x x x x

तो ऐसा होने पर उसका स्थान रिक्त हो जाएगा;

(4) x x x x x x x x x x x x

अनुच्छेद 191 सदस्यता के लिए निरर्हताएं

(1) x x x x x x x x x x x x

(2) [कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधान-सभा या विधान परिषद का सदस्य होने के लिए निरर्हता होगा;

यदि वह दसवीं अनुसूची के अधीन इस प्रकार निरर्हित हो जाता है ।]

---

x x x संगत न होने के कारण लोप किया गया ।

1. संविधान (बावनवां संशोधन) अधिनियम, 1985, धारा-2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उपरोक्त की धारा 3 द्वारा अन्तः स्थापित ।

"दसवीं अनुसूची"

[अनुच्छेद 102 (2) और अनुच्छेद 191 (2)]

दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता के बारे में उपबंध

1. **निर्वाचन**-इस अनुसूची में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "सदन" से, संसद का कोई सदन या किसी राज्य की, यथास्थिति, विधान-सभा या, विधानमंडल का कोई सदन अभिप्रेत है;

(ख) सदन के किसी ऐसे सदस्य के संबंध में, जो यथास्थिति, पैरा 2 या [***][1] पैरा 4 के उपबंधों के अनुसार किसी राजनीतिक दल का सदस्य है "विधानमंडल-दल" से, उस सदन के ऐसे सभी सदस्यों का समूह अभिप्रेत है जो उक्त उपबंधों के अनुसार तत्समय उस राजनीतिक दल के सदस्य है;

(ग) सदन के किसी सदस्य के संबंध में, "मूल राजनीतिक दल" से ऐसा राजनीतिक दल अभिप्रेत है जिसका वह पैरा 2 के उप-पैरा (1) के प्रयोजनों के लिए सदस्य है;

(घ) "पैरा" से इस अनुसूची का पैरा अभिप्रेत है ।

2. **दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता**-(1) पैरा [**][2] पैरा 4 और पैरा 5 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सदन का कोई सदस्य, जो किसी राजनीतिक दल का सदस्य है, सदन का सदस्य होने के लिए उस दशा में निरर्हित होगा जिसमें-

(क) उसने ऐसे राजनीतिक दल की अपनी सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ दी है; या

(ख) उसने ऐसे राजनीतिक दल जिसका वह सदस्य है अथवा उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा दिए गए किसी निदेश के विरुद्ध, ऐसे राजनीतिक दल, व्यक्ति या प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना, ऐसे सदन में मतदान करता है या मतदान करने से विरत रहता है और ऐसे मतदान या मतदान करने से विरत रहने को ऐसे राजनीतिक दल, व्यक्ति या प्राधिकारी ने ऐसे मतदान या मतदान करने से विरत रहने की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर माफ नहीं किया है ।

स्पष्टीकरण-इस उप पैरा के प्रयोजनों के लिए-

(क) सदन के किसी निर्वाचित सदस्य के बारे में यह समझा जाएगा कि वह ऐसे राजनीतिक दल का, यदि कोई हो, सदस्य है जिसने उसे ऐसे सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी के रूप में खड़ा किया था

(ख) सदन के किसी नामनिर्देशित सदस्य के बारे में,-

(i) उस दशा में, जिसमें वह ऐसे सदस्य के रूप में अपने नामनिर्देशन की तारीख को किसी राजनीतिक दल का सदस्य है, यह समझा जाएगा कि वह ऐसे राजनीतिक दल का सदस्य है;

---

[1] संविधान (इक्यानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 5 द्वारा "पैरा 3 या" शब्दों तथा अंक का लोप किया गया (1.1.2004 से) ।

[2] संविधान (इक्यानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 5 द्वारा अंक "3" का लोप किया गया (1.1.2004 से) ।

(ii) किसी अन्य दशा में, यह समझा जाएगा कि वह उस राजनीतिक दल का सदस्य है जिसका, यथास्थिति, अनुच्छेद 99 या अनुच्छेद 188 की अपेक्षाओं का अनुपालन करने के पश्चात् अपना स्थान ग्रहण करने की तारीख से छह मास की समाप्ति के पूर्व वह, यथास्थिति, सदस्य बनता है या पहली बार बनता है ।

(2) सदन का कोई निर्वाचित सदस्य, जो किसी राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी से भिन्न रूप में सदस्य निर्वाचित हुआ है, सदन का सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा यदि वह ऐसे निर्वाचन के पश्चात् किसी राजीनीतिक दल में सम्मिलित हो जाता है ।

(3) सदन का कोई, नामनिर्देशित सदस्य, सदन का सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा यदि वह, यथास्थिति, अनुच्छेद 99 या अनुच्छेद 188 की अपेक्षाओं का अनुपालन करने के पश्चात् अपना स्थान ग्रहण करने की तारीख से छह मास की समाप्ति के पश्चात् किसी राजनीतिक दल में सम्मिलित हो जाता है ।

(4) इस पैरा के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जो, संविधान (बावनवां संशोधन) अधिनियम, 1985 के प्रारम्भ पर, सदन का सदस्य है (चाहे वह निर्वाचित सदस्य हो या नामनिर्देशित)-

(i) उस दशा में, जिसमें वह ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहले किसी राजनीतिक दल का सदस्य था वहां, इस पैरा के उप-पैरा (1) के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि वह ऐसे राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए अभ्यर्थी के रूप में ऐसे सदन का सदस्य निर्वाचित हुआ है;

(ii) किसी अन्य दशा में, यथास्थिति, इस पैरा के उप-पैरा (2) के प्रयोजनों के लिए, यह समझा जाएगा कि वह सदन का ऐसा निर्वाचित सदस्य है जो किसी राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी से भिन्न रूप में सदस्य निर्वाचित हुआ है या, इस पैरा के उप-पैरा (3) के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि वह सदन का नामनिर्देशित सदस्य है ।

3. [* * * *][1]

4. दल-परिवर्तन के आधार पर निरर्हता का विलय की दशा में लागू न होना- (1) सदन का कोई सदस्य पैरा 2 के उप-पैरा (1) के अधीन निरर्हित नहीं होगा यदि उसके मूल राजनीतिक दल का किसी अन्य राजनीतिक दल में विलय हो जाता है और वह यह दावा करता है कि वह और उसके मूल राजनीतिक दल के अन्य सदस्य-

(क) यथास्थिति, ऐसे अन्य राजनीतिक दल के या ऐसे विलय से बने नए राजनीतिक दल के सदस्य बन गए हैं; या

---

[1] संविधान (इक्यानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 5 द्वारा "दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता का दल विभाजन की दशा में लागू न होना" के बारे में पैरा 3 का लोप किया गया (1.1.2004 से) ।

(ख) उन्होंने विलय स्वीकार नही किया है और एक पृथक् समूह के रूप में कार्य करने का विनिश्चय किया है, और ऐसे विलय के समय से, यथास्थिति, ऐसे अन्य राजनीतिक दल या नए राजनीतिक दल या समूह के बारे में यह समझा जाएगा कि वह, पैरा 2 के उप-पैरा (1) के प्रयोजनों के लिए ऐसा राजनीतिक दल है जिसका वह सदस्य है और वह इस उप-पैरा के प्रयोजनों के लिए उसका मूल राजनीतिक दल है ।

(2) इस पैरा के उप-पैरा (1) के प्रयोजनों के लिए सदन के किसी सदस्य के मूल राजनीतिक दल का विलय हुआ तभी समझा जाएगा जब संबंधित विधान-दल के कम से कम दो-तिहाई सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो गये है ।

5. छूट-इस अनुसूची में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति जो लोक सभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अथवा राज्य सभा के उप सभापति अथवा किसी राज्य की विधान परिषद् के सभापति या उप सभापति अथवा किसी राज्य की विधान-सभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद पर निर्वाचित हुआ है, इस अनुसूची के अधीन निरर्हित नही होगा,--

(क) यदि वह, ऐसे पद पर अपने निर्वाचन के कारण ऐसे राजनीतिक दल की जिसका वह ऐसे निर्वाचन से ठीक पहले सदस्य था, अपनी सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ देता है और उसके पश्चात् जब तक वह पद धारण किए रहता है तब तक, उस राजनीतिक दल में पुनः सम्मिलित नही होता है या किसी दूसरे राजनीतिक दल का सदस्य नहीं बनता है; या

(ख) यदि वह, ऐसे पद पर अपने निर्वाचन के कारण, ऐसे राजनीतिक दल की जिसका वह ऐसे निर्वाचन से ठीक पहले सदस्य था, अपनी सदस्यता छोड़ देता है और ऐसे पद पर न रह जाने के पश्चात् ऐसे राजनीतिक दल में पुनः सम्मिलित हो जाता है ।

6. **दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता के बारे में प्रश्नों का विनिश्चय**-(1) यदि यह प्रश्न उठता है कि सदन का कोई सदस्य इस अनुसूची के अधीन निरर्हता से ग्रस्त हो गया है या नही तो वह प्रश्न, ऐसे सदन की, यथास्थिति, सभापति या अध्यक्ष के विनिश्चिय के लिए निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चिय अंतिम होगा:

परन्तु जहां यह प्रश्न उठता है कि सदन का सभापति या अध्यक्ष निरर्हता से ग्रस्त हो गया है या नही वहां यह प्रश्न सदन के ऐसे सदस्य के विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा । जिसे वह सदन इस निमित निर्वाचित करे और उसका विनिश्चिय अंतिम होगा ।

---

*उच्चतम न्यायालय ने किहोटा होलोहन बनाम जायचिल्हु तथा अन्य के मामले में अपने बहुमत निर्णय में इस पैरे को राज्य विधानमंडलों द्वारा इसकी अभिपुष्टि न किए जाने के आधार पर संविधान के अधिकारातीत ठहराया था । (ए०आई०आर० 1993, उ०न्या० 412) । तथापि, यह उपबंध अभी भी दसवीं अनुसूची का अंग बना हुआ है क्योंकि दसवीं अनुसूची से इसका लोप करने के लिए सरकार अभी तक कोई संविधान संशोधन विधेयक लेकर नही आई है ।

(2) इस अनुसूची के अधीन सदन के किसी सदस्य की निरर्हता के बारे में किसी प्रश्न के संबंध में इस पैरा के उप-पैरा (1) के अधीन सभी कार्यवाहियों के बारे में यह समझा जाएगा कि वे, यथास्थिति, अनुच्छेद 122 के अर्थ में संसद की कार्यवाहियां है या अनुच्छेद 212 के अर्थ में राज्य के विधानमंडल की कार्यवाहियां है ।

*7. **न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन**-इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, किसी न्यायालय को इस अनुसूची के अधीन सदन के किसी सदस्य की निरर्हता से संबंधित किसी विषय के बारे में कोई अधिकारिता नहीं होगी ।

8. **नियम**-(1) इस पैरा के उप-पैरा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सदन का सभापति या अध्यक्ष, इस अनुसूची के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगा तथा विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :-

(क) सदन के विभिन्न सदस्य जिन राजनीतिक दलों के सदस्य है, उनके बारे में रजिस्टर या अन्य अभिलेख रखना;

(ख) ऐसा प्रतिवेदन जो सदन के किसी सदस्य के संबंध में विधान मंडल-दल का नेता, उस सदस्य की बाबत पैरा 2 के उप-पैरा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति की माफी के संबंध में देगा, वह समय जिसके भीतर और वह प्राधिकारी जिसको ऐसा प्रतिवेदन दिया जाएगा;

(ग) ऐसे प्रतिवेदन जिन्हें कोई राजनीतिक दल सदन के किसी सदस्य को ऐसे राजनीतिक दल में प्रविष्ट करने के संबंध में देगा और सदन का ऐसा अधिकारी जिसको ऐसे प्रतिवेदन दिए जाएंगे; और

(घ) पैरा 6 के उप-पैरा (1) में निर्दिष्ट किसी प्रश्न का विनिश्चय करने की प्रक्रिया जिसके अंतर्गत ऐसी जांच की प्रक्रिया है, जो ऐसे प्रश्न का विनिश्चय करने के प्रयोजन के लिए की जाए ।

(2) सदन के सभापति या अध्यक्ष द्वारा इस पैरा के उप-पैरा (1) के अधीन बनाए गए नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, सदन के समक्ष कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखे जाएंगे । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । वे नियम तीस दिन की उक्त अवधि की समाप्ति पर प्रभावी होंगे जब तक कि उनका सदन द्वारा परिवर्तनों सहित या उनके बिना पहले ही अनुमोदन या अननुमोदन नहीं कर दिया जाता है, वे नियम इस प्रकार अनुमोदित कर दिए जाते है तो वे, यथास्थिति, ऐसे रूप में जिसमें वे रखे गए थे या ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होंगे । यदि नियम इस प्रकार अनुमोदित कर दिये जाते है तो वे निष्प्रभाव हो जाएंगे ।

(3) सदन का सभापति या अध्यक्ष, यथास्थिति, अनुच्छेद 105 या अनुच्छेद 194 के उपबंधों पर और किसी ऐसी अन्य शक्ति पर जो उसे इस संविधान के अधीन प्राप्त है, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यह निदेश दे सकेगा कि इस पैरा के अधीन बनाए गए नियमों के किसी व्यक्ति द्वारा जानबुझकर किए गए किसी उल्लंघन के बारे में उसी रीति से कार्यवाही की जाए जिस रीति से सदन के विशेषाधिकार के भंग के बारे में की जाती है ।

झारखण्ड विधान-सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियम, 2006

झारखण्ड विधान-सभा के अध्यक्ष भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा-8 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्--

1. **संक्षिप्त नाम**--इन नियमों का संक्षिप्त नाम झारखण्ड विधान-सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियम, 2006 है ।

2. **परिभाषाएँ**--इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो--

(क) ''पत्रक'' से झारखण्ड विधान-सभा पत्रक अभिप्रेत है;
(ख) ''प्ररूप'' से इन नियमों के साथ संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;
(ग) इन नियमों के संबंध में ''प्रारंभ की तारीख'' से वह तारीख अभिप्रेत है, जिस तारीख को ये नियम दसवीं अनुसूची के पैरा-8 के उप-पैरा (2) के अधीन प्रभावी होंगे;
(घ) ''सदन'' से झारखण्ड विधान-सभा अभिप्रेत है;
(ड.) किसी विधायक-दल के संबंध में ''नेता'' से उस दल का ऐसा सदस्य अभिप्रेत है जिसे उस दल ने अपना नेता चुना है और इसके अन्तर्गत उस दल का कोई ऐसा अन्य सदस्य भी है जो उसकी अनुपस्थिति में इन नियमों के प्रयोजनार्थ उस दल के नेता के रूप में कार्य करने के लिए उस दल द्वारा प्राधिकृत किया गया है;
(च) ''सदस्य'' से झारखण्ड विधान-सभा का सदस्य अभिप्रेत है;
(छ) ''सचिव'' से झारखण्ड विधान-सभा का सचिव अभिप्रेत है, और उसके अन्तर्गत वह व्यक्ति भी है, जो सचिव के कर्त्तव्यों का तत्समय निर्वहन कर रहा है ।

3. **विधायक-दल के नेता द्वारा जानकारी का दिया जाना**--

(1) प्रत्येक विधायक दल के नेता (ऐसे विधायक दल से भिन्न जिसमें केवल एक सदस्य हो) सभा की पहली बैठक की तारीख से तीस दिन के भीतर या जहाँ ऐसे विधायक दल का गठन ऐसी तारीख के बाद किया गया है, वहाँ उसके गठन की तारीख से तीस दिन के भीतर अथवा प्रत्येक स्थिति में ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जिसकी अध्यक्ष पर्याप्त हेतुक के आधार पर अनुज्ञा दे, अध्यक्ष को निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करेगा, अर्थात्--

(क) एक विवरण (लिखित रूप में) जिसमें ऐसे विधायक दल के सदस्यों के नाम और उसके साथ ऐसे सदस्यों से संबंधित अन्य विवरण होंगे जैसे कि प्ररूप-1 में है और ऐसे दल के उन सदस्यों के नाम और पदनाम होंगे, जिन्हें उस दल के इन नियमों के प्रयोजनों के लिए अध्यक्ष से पत्र व्यवहार करने के लिए प्राधिकृत किया है;
(ख) संबंधित राजनीतिक दल के नियमों और विनियमों की एक प्रति (चाहे उन्हें इस नाम से या संविधान या किसी अन्य नाम से जाना जाता हो), और
(ग) जहाँ ऐसे विधायक दल के कोई पृथक नियम और विनियम है (चाहे उन्हें इस नाम से अथवा संविधान या किसी अन्य नाम से जाना जाता हो), वहाँ ऐसे नियमों और विनियमों की एक प्रति ।

(2) जहाँ किसी विधायक दल में केवल एक सदस्य है वहाँ ऐसा सदस्य सदन की पहली बैठक की तारीख से तीस दिन के भीतर या जहाँ वह ऐसी तारीख के बाद सदन का सदस्य बना है वहाँ सदन में अपना स्थान ग्रहण करने की तारीख से तीस दिन के भीतर अथवा प्रत्येक स्थिति में ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जिसकी अध्यक्ष पर्याप्त हेतुक के आधार पर अनुज्ञा दे, अध्यक्ष को उप नियम-(1) के खण्ड (ख) में उल्लिखित नियमों और विनियमों की एक प्रति भेजेगा ।

(3) ऐसे किसी विधायक दल की संख्या में, जिसमें केवल एक सदस्य है, वृद्धि होने पर, उप नियम(1) के उपबंध ऐसे विधायक दल के संबंध में वैसे ही लागू होंगे, मानों वह विधायक दल उस तारीख को बनाया गया है, जिस तारीख को उसकी संख्या में वृद्धि हुई है ।

(4) जब कभी किसी विधायक दल के नेता द्वारा उप नियम-(1) के अन्तर्गत या किसी सदस्य द्वारा उप नियम-(2) के अन्तर्गत दी गई सूचना में कोई परिवर्तन होता है तो उसके पश्चात् 30 दिन के भीतर अथवा ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जिसकी अध्यक्ष पर्याप्त हेतुक के आधार पर अनुज्ञा दे, अध्यक्ष को ऐसे परिवर्तन की लिखित सूचना दिया जायेगा ।

(5) इन नियमों के प्रवर्तन की तारीख को विद्यमान सदन की दशा में उप नियम-(1) और उप नियम-(2) में सदन की पहली बैठक की तारीख के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जायेगा कि वह इन नियमों के आरंभ की तारीख के प्रति निर्देश है ।

(6) जहाँ किसी राजनीतिक दल का कोई सदस्य, ऐसे राजनीतिक दल द्वारा या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा दिये गये किसी निर्देश के विरुद्ध ऐसे राजनीतिक दल, व्यक्ति या प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना सदन में मतदान करता है या मतदान करने से विरत रहता है, तो संबंधित विधायक दल का नेता या जहाँ सदस्य ऐसे विधायक दल का, यथास्थिति, नेता या एक मात्र सदस्य है तो ऐसा सदस्य, ऐसा मतदान करने या मतदान से विरत रहने के पन्द्रह दिन के भीतर प्ररूप-2 के अनुसार अध्यक्ष को यह संसूचित करेगा कि ऐसा मतदान करने या मतदान से विरत रहने के लिए ऐसे राजनीतिक दल, व्यक्ति या प्राधिकारी ने माफ किया है या नहीं ।

स्पष्टीकरण--किसी सदस्य का मतदान से विरत रहना तभी माना जायेगा जब वह मतदान करने के लिए अधिकृत किये जाने पर स्वेच्छा से मतदान से विरत रहेगा ।

4. सदस्यों द्वारा सूचना आदि दिया जाना--

(1) ऐसा प्रत्येक सदस्य जिसने इन नियमों के आरंभ होने की तारीख से पूर्व सदन में अपना स्थान ग्रहण कर लिया है, ऐसी तारीख से तीस दिन के भीतर अथवा ऐसी आगे की अवधि के भीतर जिसकी अनुमति अध्यक्ष पर्याप्त कारण से दे प्ररूप-3 में विशिष्टियों का एक विवरण और घोषणा सचिव को भेजेगा ।

(2) प्रत्येक सदस्य, जो इन नियमों के आरंभ के पश्चात् सदन में अपना स्थान ग्रहण करता है, संविधान के अनुच्छेद-188 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने और सदन में अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व सचिव के पास यथास्थिति, अपना निर्वाचन प्रमाण-पत्र या उसे सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट करने वाली अधिसूचना की प्रमाणित प्रति जमा करायेगा और प्ररूप-3 में विशिष्टियों का एक विवरण और घोषणा सचिव को देगा ।

स्पष्टीकरण--इस उप नियम के प्रयोजन के लिए "निर्वाचन प्रमाण-पत्र" से लोक प्रतिनिधित्व, 1951, (1951 का 43) तथा उसके अधीन बनाये गये नियम के अधीन जारी किया गया निर्वाचन प्रमाण-पत्र है ।

(3) इस नियम के अधीन सदस्य जो जानकारी देंगे उसका संक्षेप पत्रक में प्रकाशित किया जाएगा और यदि अध्यक्ष के समाधानप्रद रूप में उसमें कोई विसंगति बताई जाती है तो पत्रक में आवश्यक शुद्धि-पत्र प्रकाशित किया जाएगा ।

5. सदस्यों के बारे में जानकारी का रजिस्टर--

(1) सचिव, प्ररूप-4 में एक रजिस्टर रखेगा जो सदस्यों के संबंध में नियम-3 और नियम-4 के अधीन जानकारी पर आधारित होगा, यह रजिस्टर उस प्रकार तैयार किया जाएगा, जैसा अध्यक्ष आदेश दें ।

(2) प्रत्येक सदस्य के संबंध में जानकारी, रजिस्टर में पृथक पृष्ठ पर अभिलेखित की जायेगी ।

6. निर्देश का अर्जी द्वारा किया जाना--

(1) कोई सदस्य दसवीं अनुसूची के अधीन निरर्हता से ग्रस्त हो गया है, या नहीं, इस प्रश्न का निर्देश उस सदस्य के संबंध में इस नियम के उपबन्धों के अनुसार दी गई अर्जी द्वारा किया जायेगा अथवा अध्यक्ष द्वारा स्वत: संज्ञान (Suo moto) के आधार पर भी किया जा सकेगा ।

(2) किसी सदस्य के संबंध में कोई अर्जी किसी अन्य सदस्य द्वारा अध्यक्ष को लिखित रूप में दी जा सकेगी । परन्तु अध्यक्ष के संबंध में कोई अर्जी सचिव को संबोधित की जायेगी ।

(3) सचिव--

(क) उप नियम-2 के परन्तुक के अधीन दी गई अर्जी की प्राप्ति के पश्चात्, यथाशीघ्र, उसके बारे में सदन को एक रिपोर्ट देगा, और

(ख) दसवीं अनुसूची के पैरा-6 के उप पैरा(1) के परन्तुक के अनुसरण में सदन द्वारा किसी सदस्य के निर्वाचित किये जाने के पश्चात् अर्जी को यथाशीघ्र उस सदस्य के समक्ष प्रस्तुत करेगा ।

(4) किसी सदस्य के संबंध में कोई अर्जी देने से पूर्व, अर्जीदार अपना यह समाधान करेगा कि यह विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार है कि यह प्रश्न उठता है कि क्या वह सदस्य दसवीं अनुसूची के अधीन निरर्हता से ग्रस्त हो गया है या नहीं ।

(5) प्रत्येक अर्जी--

(क) में उन तात्विक तथ्यों का संक्षिप्त विवरण होगा, जिन पर अर्जीदार निर्भर करता है, और

(ख) के साथ ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य की, यदि कोई हो, प्रतियाँ संलग्न होंगे जिस पर अर्जीदार निर्भर करता है और जहाँ अर्जीदार किसी व्यक्ति द्वारा उसे दी गई किसी जानकारी पर निर्भर करता है, वहाँ उन व्यक्तियों के नाम और पते सहित विवरण और ऐसे प्रत्येक व्यक्ति द्वारा दी गई ऐसी जानकारी का सारांश संलग्न होगा ।

(6) प्रत्येक अर्जी पर अर्जीदार के हस्ताक्षर होंगे और उसे अभिवचनों के सत्यापन के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) में अधिकथित रीति से सत्यापित किया जाएगा ।

(7) अर्जी के प्रत्येक उपबंध पर अर्जीदार के हस्ताक्षर होंगे और उसे अर्जी के समान रीति से ही सत्यापित किया जायेगा ।

7. प्रक्रिया--

(1) नियम-6 के अधीन अर्जी प्राप्त होने पर अध्यक्ष इस बात पर विचार करेगा कि क्या अर्जी उक्त नियम की अपेक्षाओं का अनुपालन करती है ।

(2) यदि अर्जी नियम-6 की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं करती है, तो अध्यक्ष अर्जी को रद्द करेगा और अर्जीदार को तदनुसार संसूचित करेगा ।

(3) यदि अर्जी नियम-6 की अपेक्षाओं का अनुपालन करती है, तो अध्यक्ष अर्जी और उसके उपबंधों की प्रतियाँ--

(क) उस सदस्य को भिजवायेगा, जिसके संबंध में अर्जी दी गई, और

(ख) जहाँ ऐसा सदस्य किसी विधायक दल का है और ऐसी अर्जी उस दल के नेता ने नहीं दी है, वहाँ ऐसे नेता को भी भिजवायेगा,

और ऐसा सदस्य या नेता, ऐसी प्रतियों की प्राप्ति से सात दिन के भीतर या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर, जिसकी अध्यक्ष पर्याप्त हेतुक के आधार पर अनुज्ञा दे, उस पर अपनी लिखित टिप्पणियाँ अध्यक्ष को भेजेगा ।

(4) अर्जी के संबंध में अनुज्ञात अवधि (चाहे मूलत: या उक्त उप नियम के अधीन विस्तारित) के भीतर, उप नियम-(3) के अधीन प्राप्त टिप्पणियों पर, यदि कोई हों, विचार करने के पश्चात् अध्यक्ष प्रश्न का अवधारण करने के लिए अग्रसर होगा ।

(5) अध्यक्ष, उप नियम-(4) के अधीन अर्जी प्राप्त करने के पश्चात् यथाशीघ्र अर्जीदार को तदनुसार संसूचित करेगा और ऐसे निर्देश के संबंध में सदन में घोषणा करेगा, यदि सदन का सत्र उस समय नहीं चल रहा है तो उस निर्देश की सूचना पत्रक में प्रकाशित कराएगा ।

(6) अध्यक्ष यथाशीघ्र प्रश्न का अवधारण सम्पूर्ण कार्यवाही का पालन करते हुए करेगा ।

(7) अध्यक्ष उप नियम-4 के अधीन किसी प्रश्न के अवधारण के लिए सर्वप्रथम प्रश्न का निरीक्षण करेगा और मामले के समस्त तथ्यों को दृष्टि में रखते हुए निर्धारित करेगा कि उससे निरर्हता का विषय बनता है अथवा नहीं ।

अध्यक्ष इस निष्कर्ष पर कि वह सदस्य दसवीं अनुसूची के अधीन निरर्हता से ग्रस्त हो गया है, तभी पहुंचेगा जबकि उस सदस्य को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का और व्यक्तिगत रूप से और यदि वह चाहता है तो उसकी इच्छानुसार परामर्शी की सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है ।

(8) उप नियम (1) से (7) तक के उपबंध अध्यक्ष के संबंध में दी गई अर्जी के बारे में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि वे किसी अन्य सदस्य के संबंध में दी गई अर्जी के बारे में लागू होते हैं, तथा इस प्रयोजनार्थ, इन उप नियमों में अध्यक्ष के प्रति निर्देश का अर्थ दसवीं अनुसूची के पैरा-6 के उप पैरा-(1) के परन्तुक के अन्तर्गत सदन द्वारा निर्वाचित सदस्य के प्रति निर्देश सहित लगाया जाएगा ।

8. **अर्जी का विनिश्चय**--

(1) अर्जी पर विचार पूरा होने के पश्चात् यथास्थिति, अध्यक्ष या दसवीं अनुसूची के पैरा-6 के उप पैरा-(1) के परन्तुक के अधीन निर्वाचित सदस्य, लिखित आदेश द्वारा--

(क) अर्जी को खारिज करेगा, या

(ख) यह घोषणा करेगा कि वह सदस्य जिसके संबंध में अर्जी दी गई है, दसवीं अनुसूची के अधीन निरर्हता से ग्रस्त हो गया है,

और उस आदेश की प्रतियाँ अर्जीदार को उस सदस्य को, जिसके संबंध में अर्जी दी गई है और संबंधित विधायक दल के नेता को यदि कोई हो परिदत्त या अग्रेषित करवाएगा ।

(2) ऐसा प्रत्येक विनिश्चय, जिसमें किसी सदस्य को दसवीं अनुसूची के अधीन निरर्हता से ग्रस्त घोषित किया गया है सदन को, यदि वह सत्र में है, तुरन्त प्रतिवेदित किया जायेगा और यदि सदन सत्र में नहीं है तो सदन के पुनः समवेत होने के तुरन्त पश्चात् प्रतिवेदित किया जायेगा ।

(3) उप नियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक विनिश्चय पत्रक में प्रकाशित किया जायगा और राजपत्र में अधिसूचित किया जायेगा तथा सचिव उस विनिश्चय की प्रतियाँ भारत के निर्वाचन आयोग को और झारखण्ड सरकार को अग्रेषित करेगा ।

9. इन नियमों के विस्तृत कार्यकरण के संबंध में निदेश--

अध्यक्ष समय-समय पर ऐसे निदेश जारी कर सकेगा, जो इन नियम के विस्तृत कार्यकरण के बारे में आवश्यक समझे ।

प्ररूप--1

विधायक दल का नाम..... तत्स्थानी राजनीतिक दल का नाम.....

क्रम सं०	सदस्य का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)	पिता/पति का नाम	स्थायी पता	किस निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित है
1	2	3	4	5

तारीख.....

.....

विधायक दल के नेता का हस्ताक्षर

प्ररूप--2

सेवा में,

अध्यक्ष,

झारखण्ड विधान-सभा ।

महोदय,

सदन की.....(तारीख) को हुई बैठक में.....विषय पर हुए मतदान में ।

श्री..... सदस्य विधान-सभा ने जिनकी (विभाजन संख्या.....) है और जो.....(राजनीतिक दल का नाम) के सदस्य तथा जो..... .....(विधायक दल का नाम) के है ।

मैंने/मैं अर्थात्..... (सदस्य का नाम) सदस्य विधान-सभा (विभाजन संख्या.....) (राजनीतिक दल का नाम) का सदस्य और..... .....(विधायक दल का नाम) का नेता/एकमात्र सदस्य ।

.....(व्यक्ति/प्राधिकारी/दल) द्वारा दिये गये निदेशों के विरुद्ध (उक्त व्यक्ति/प्राधिकारी/दल) की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना मतदान किया है/मतदान करने से विरत रहा है/रहा हूँ ।

2. .....(तरीख) को पूर्वोक्त मामले पर..... (व्यक्ति/प्राधिकारी/दल) द्वारा विचार किया गया और उक्त मतदान करने/मतदान करने से विरत रहने को, उसके द्वारा माफ किया गया/माफ नहीं किया गया ।

तारीख.....

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

प्ररूप--3

1. सदस्य का नाम (स्पष्ट अक्षरों में) :

2. पिता/पति का नाम :

3. स्थायी पता :

4. राँची का पता :

5. निर्वाचन/नाम-निर्देशन की तारीख :

6. जिस दल से संबद्ध है/हैं-

   (1) निर्वाचन/नाम-निर्देशन की तारीख को.....

   (2) झारखण्ड विधान-सभा में सदस्य के रूप में निर्वाचित होने की तिथि को.....
   .....

   (3) इस प्ररूप पर हस्ताक्षर करने की तारीख को.....

घोषणा

मैं.....यह घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त जानकारी सत्य और सही है ।

ऊपर दी गई जानकारी में कोई परिवर्तन होने पर, मैं अध्यक्ष महोदय को तत्काल सूचित करने का वचन देता/देती हूँ ।

तारीख.....

सदस्य के हस्ताक्षर/अँगूठे का निशान

प्ररूप--4

[देखिये नियम 5(1)]

सदस्य का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)	पिता/पति का नाम	स्थायी पता	राँची का पता	निर्वाचन/नाम निर्देशन की तारीख	जिससे वह संबद्ध है उस राजनीतिक दल का नाम	जिससे वह संबद्ध है उस विधायक दल का नाम	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8

अध्यक्ष, झारखण्ड विधान-सभा के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट,
सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा, राँची ।

झा०रा०मु० राँची (एल०ए०) 8-500-9-8-2007--शनि मुण्डा ।